संख्या- 45/2019/1658/12-3-2019-100(32)/2018

प्रेषक,

डा0 राम चन्द्र शुक्ल
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 21 नवम्बर, 2019

विषय- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु कृषि विभाग की पूंजीगत योजनायें के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शासनादेश संख्या-877/12-3-2019-100(32)/2018, दिनांक 01.08.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 01.08.2019 के द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु कृषि विभाग की पूंजीगत योजनायें के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 2197.22 लाख अवमुक्त की गई है।

3- उक्त शासनादेश के प्रस्तर-04 में उल्लिखित प्राविधान के स्थान पर "वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक **22.03.2019** में दिए गए दिशा-निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय उक्त शासनादेशों में की गई व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किए जाने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उ0प्र0 एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 बीज विकास निगम, लखनऊ का होगा। साथ ही क्रमांक-1 पर अंकित परियोजना हेतु स्वीकृति धनराशि रु0 **1242.34** लाख का कृषि निदेशक, उ0प्र0 द्वारा नियमानुसार कोषागार से आहरण करते हुए किसान कल्याण केन्द्रों के निर्माण कार्यों हेतु नामित कार्यदायी संस्थाओं को हस्तानान्तरित की जाएगी। कृषि निदेशक, उ0प्र0 क्रमांक-2 एवं 3 पर अंकित परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि रु0 **954.88** लाख को आहरित कर उ0प्र0 बीज विकास निगम को उपलब्ध कराया जाएगा" पढ़ा जायेगा।

4- शासनादेश संख्या-877/12-3-2019-100(32)/2018, दिनांक 01.08.2019 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

5- शासनादेश दिनांक 01.08.2019 के शेष प्राविधान/शर्ते यथावत् रहेगी।

भवदीय,

(डा0 राम चन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

सं0- 45/2019/1658(1)/12-3-2019-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4- संयुक्त सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5- अवर सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6- निदेशक, आर के. वी. वाई., भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, (आर.के.वी.वाई. सेल) कृषि भवन, नई दिल्ली।
7- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित कार्यदायी संस्थायें, उ0प्र0।
9- संबंधित कोषाधिकारी, लखनऊ।
10- सम्बन्धित परियोजनाधिकारी, कृषि भवन, लखनऊ।
11- वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12- नोडल अधिकारी, आर.के.वी.वाई., कृषि भवन, लखनऊ।
13- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
14- शासनादेश की वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic.in पर अपलोड करने हेतु।
15- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डा0 राम चन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in